ग्राम पंचायत बगली, विकास खण्ड धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० – 176209
के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत बगली, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती शालिनी चौधरी	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राजीव कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रोहित कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती नीलम कुमारी	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत बगली के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	**16.04**
2.	7.1	संपत्ति कर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.60**
3.	7.2	व्यवसायिक परिसर/भवन के किरायेदार से देय किराया वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.02**
4.	8.1	खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान का पाया जाना	**0.68**
5.	8.2	बजरी एवं पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	**0.02**
6.	8.3	सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	**0.09**
7.	8.4	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	**1.94**

8.	8.5	पेवर ब्लॉक का अनियमित क्रय करना	**4.65**
9.	8.6	अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	**6.73**
10.	8.7	मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	**6.73**
11.	9.1	व्यक्तिगत कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात (60:40) के उल्लंघन के कारण अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान का पाया जाना	**0.05**
12.	9.2	व्यक्तिगत कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान करना	**2.75**
13.	9.3	मनरेगा के अन्तर्गत व्यय से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे	**18.31**
14.	10.1	अंकेक्षणापत्ति उपरान्त विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली बारे	**0.01**
15.	10.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को हि० प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि का पाया जाना	**0.05**

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत बगली का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लिये किया गया था, जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

1. <u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 तक</u>

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति
1.	3	**निर्णीत** (मांग व प्राप्ति रजिस्टर पेज संख्या 114 से पुष्टि उपरान्त करने के उपरान्त)

2.	4.1	**निर्णीत** (नवीनतम वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित करने के दृष्टिगत)
3.	5.1	**अनिर्णीत**
4.	5.2	**अनिर्णीत**
5.	6	**आंशिक निर्णीत** (गृहकर से संबंधित अभिलेखों की जाँच उपरांत पाया कि गृहकर की वसूली कर ली गई थी लेकिन मोबाईल टॉवर फीस की वसूली करना अभी शेष है)
6.	7	**निर्णीत** (नवीनतम स्थिति अनुसार वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित करने के दृष्टिगत)
7.	8	**निर्णीत** (भंडार रजिस्टरों/ अभिलेखों की जाँच एवं सटिप्पण उत्तर की जाँच उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है।)
8.	9	**अनिर्णीत**
9.	10	**अनिर्णीत**
10.	11	**अनिर्णीत**

उपरोक्त तालिका अनुसार शेष पैरों की नवीनतम स्थिति से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की अनुपालना में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है जो कि अंकेक्षण के प्रति ग्राम पंचायत बगली की उदासीनता को परिलक्षित करता है। अतः शेष अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु नियमानुसार एवं अंकेक्षण सुझावानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाते हुये समर्थित सत्यापित अभिलेख सहित अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत बगली, विकास खण्ड धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24.01.2025 से 10.02.2025 तक ग्राम पंचायत के

कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	03/2023	05/2022
2023-24	06/2023	03/2024

अस्वीकरण (Disclaimer): - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 15/2024/बगली दिनांक 10.02.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 38 दिनांक 10.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया की नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 37/2024 दिनांक 24.01.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	294709.50	279176.17	573885.67	224820.00	349065.67
2023-24	349065.67	23850.24	372915.91	195755.00	177160.91

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	1613421.71	5909126.00	7522547.71	5721028.71	1801519.00
2023-24	1801519.00	3463056.26	5264575.26	3660084.26	1604491.00

कुल योग (1+2) = 177160.91 + 1604491.00 = **1781651.91**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष **₹17,81,651.91** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹17,81,651.91 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024
1.	सभा निधि (OWN SOURCE)	के०सी०सी०बी० बगली	20097027827	₹ 1,77,160.91
2.	5वां राज्य वित्तायोग (5th SFC)	UCO बैंक चेतडू	33400110013304	₹ 97,305.00
3.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना	के०सी०सी०बी० बगली	50057684094	₹ 92,474.00

	(V.K.V.N.Y.)			
4.	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	के०सी०सी०बी० बगली	50055492836	₹ 1,32,342.00
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA)	UCO बैंक चेतड़ू	33400110022511	₹ 0.00
6.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)	के०सी०सी०बी० बगली	50021937212	₹ 66,069.00
7.	राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)			
8.	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	के०सी०सी०बी० बगली	50057318276	₹ 0.00
9.	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	के०सी०सी०बी० बगली	50061128280	₹ 0.00
11.	15वाँ वित्तायोग (15th FC)	UCO बैंक चेतड़ू	33400110016725	₹ 11,54,470.00
12.	बायो डाइवर्सिटी मैनेजमेन्ट कमेटी (BMC)	के०सी०सी०बी० बगली	50073758615	₹ 61,831.00
	हस्तगत नकद शेष (Own Source)			₹ 0.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :-			₹17,81,651.91
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			**₹17,81,651.91**
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति/पैरा4(क) अन्तशेष :-			**₹17,81,651.91**
	अंतर :-			**₹ 0.00**

4.1 योजनावार पृथक बैंक खाते न खोलना: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित निधियों के आय व्यय हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाते नहीं खोले गये थे जोकि उक्त दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत अनियमित एवं आपत्तिजनक है :-

क्र०सं०	**शीर्ष**	**बैंक**	**खाता सं०**
1	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)	के०सी०सी०बी० बगली	50021937212
2	राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)		

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/बगली दिनांक 30.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 24 दिनांक 31.01.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार योजना वार अलग-अलग बैंक खाते खोलकर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न कर पाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए तुरन्त प्रभाव से समस्त अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों के वाउचरों से संबंधित निम्न तालिका में दर्शाये गये कार्यों के निष्पादन हेतु योजनावार एवं कार्य के अनुसार निधियों की कुल प्राप्ति एवं भुगतान की पुष्टि सम्भव न हो सकी तथा उक्त कार्यों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं, की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त की गई आय की भी लेखा/ खाता बही के अभाव में वास्तविक प्राप्तियों की अंकेक्षण में सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

क्र०सं०	अनुदान	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ मस्ट्रोल सं० / दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	VKVNY	VKVNY/2023-24/P/31 Dt 14.03.2024	342221/ 12.03.2024	Completion of Himalay Mahila Mandal and samudaik Bhavan Bagli	₹8,000.00
2	VKVNY	VKVNY/2023-24/P/32 Dt 22.03.2024	5010/ 23.02.2024		₹39,784.00
3	SDP	SDP/2023-24/P/2 Dt 20.03.2024	5005/ 12.03.2024	C/O Pucca Path from KCC Bank to Sh Harnaam Singh Maya Devi House	₹1,500.00
4	SDP	SDP/2023-24/P/3 Dt 22.03.2024	5009/ 12.03.2024	C/O Pucca Path from Tek Chand House towards Munshi Ram House	₹1,500.00
5	SDRF	SDRF/2023-24/P/12 Dt 22.03.2024	5011/ 12.03.2024	Re -C/o Retaining Wall Near the PHC Bagli	₹13,370.00
6	15th FC	XVFC/2023-24/P/43 Dt 14.03.2024	342222/ 14.03.2024	C/o Road and Naali Ward No 1	₹17,200.00

7	15th FC	XVFC/2023-24/P/44 Dt 14.03.2024	104587/ 29.02.2024	Saundarykaran Panchayat Ghar Bagli	₹3,573.00
8	15th FC	XVFC/2023-24/P/45 Dt 21.03.2024	5006/ 12.03.2024	Completion of Naali KCCB Bagli ke pass	₹1,500.00
9	15th FC	XVFC/2023-24/P/46 Dt 22.03.2024	5007/ 12.03.2024	C/o Road and Naali Ward No 1	₹11,250.00
10	SBM (PFMS)	Nil/ 17.05.2022	19023/ 25.05.2022	C/o Community managed sanitary complex near panchayat ghar Bagli	₹16,134.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/बगली दिनांक 30.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 25 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि खाता बही अपूर्ण है भविष्य में नियमानुसार खाता बही का अद्यतन कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 बायो डाइवर्सिटी मैनेजमेन्ट कमेटी (BMC) की रोकड़ बही को PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) पर संधारित न करने बारे:-

निदेशक-एवं-विशेष सचिव (RD&PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.सी(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 द्वारा सभी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में खातों का रख-रखाव करने बारे दिशा-निर्देश जारी किए गये जिसके अनुसार सभी पंचायती राज

संस्थाएँ दिनांक 31.03.2018 को या उससे पहले रोकड़ बहियों को Online mode पर संधारित करेंगी और उसके बाद Manual Mode (हस्तलिखित) को बंद कर दिया जाएगा।

अंकेक्षण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा बायो डाइवर्सिटी मैनेजमेन्ट कमेटी (BMC) के आय व्यय हेतु हस्तलिखित रोकड़ बही प्रस्तुत की गई है जोकि अनियमित है एवं उपरोक्त वर्णित दिशा-निर्देशों के विपरीत है। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने, बहुमूल्य मानवश्रम की बचत करने तथा कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा "E-Gram Swaraj" के नाम से राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल का संचालन किया जा रहा है व ग्राम पँचायत द्वारा इस सुविधा का पूर्ण लाभ न उठाते हुये हस्तलिखित रोकड़ बही का संचालन करने के कारण सरकार द्वारा करोड़ों रुपये व्यय करके चलाये जा रहे "E-Gram Swaraj" पोर्टल को स्थापित करना ही निरुद्देश्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त हस्तलिखित रोकड़ बही को अनुरक्षित करने में व्यर्थ किये जा रहे बहुमूल्य मानवश्रम के कारण पंचायत की अन्य गतिविधियाँ भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती हैं।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/बगली दिनांक 30.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 26 दिनांक 31.01.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया कि भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बही का संधारण एवं लेखांकन कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिए आश्वासन अनुसार ऑनलाइन PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में बायो डाइवर्सिटी मैनेजमेन्ट कमेटी (BMC) की रोकड़ बही को नियमानुसार संधारित कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा

सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व:-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/बगली दिनांक 30.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया; जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 27 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹16.04 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 37/2024 दिनांक 24.01.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 16,04,491.00** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये

जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/बगली दिनांक 30.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 27 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके शेष अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के तथ्यपूर्ण कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को फंडिंग एजेन्सी के दिशा-निर्देशानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए एवं तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **79**(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र सं० पी०सी० एच०-एच०, ए० (5)(सी)(15)313/88-4614-478 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व अन्य स्वीकृत एजेन्सी से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवायेगा ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित किया जा सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये गए। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य /

कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं इन्हें सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च किया गया था अथवा नहीं?

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/बगली दिनांक 30.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 27 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदानों के आदेश व स्वीकृति पत्र विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए है, जिन्हें भविष्य में प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा ।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.3 अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **61 (1)** के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है एवं नियम **79(2)** के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/बगली दिनांक 30.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 27 दिनांक 31.01.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदान रजिस्टर असंधारित है एवं भविष्य में अनुदान रजिस्टर को संधारित कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (***Update)*** करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व राशि ₹0.61 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

7.1 संपत्ति कर/गृहकर राशि ₹0.60 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/बगली दिनांक 31.01.2025 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 28 दिनांक 01.02.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹60/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹59,510.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.2024 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/बगली दिनांक 04.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 37 दिनांक 10.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की

जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 व्यवसायिक परिसर/भवन के किरायेदार से देय किराया ₹0.02 लाख राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा व्यवसायिक परिसर/भवन के किराये से सम्बन्धित मांग व वसूली पंजिका का संधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित किराये तथा वसूली का पूर्ण पता लगाया जा सके। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/बगली दिनांक 31.01.2025 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 29 दिनांक 01.02.2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत द्वारा व्यवसायिक परिसर/भवन हेतु ₹600/- प्रतिमाह की दर से किराया आरोपित किया था एवं राशि **₹1,800.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.2024 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - "ङ"** पर संलग्न है। व्यवसायिक परिसर/भवन के किराये से सम्बन्धित मांग व वसूली पंजिका अपूर्ण होने के कारण लम्बित किराया तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। व्यवसायिक परिसर/भवन के किराये की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/बगली दिनांक 04.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 37 दिनांक 10.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु

नियमानुसार व्यवसायिक परिसर/भवन के किराये से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण प्रारूप – 10 के अनुसार कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 व्यवसायिक परिसर/भवन के किरायेदार से अनुबंध हस्ताक्षरित न करना: -

हि० प्र० पंचायती राज विभाग के कार्यालय आदेश संख्याः पीसीएची-एचसी (7) 10/80 दिनांक 17 सितम्बर 2008 अनुसार ग्राम पंचायत को व्यवसायिक परिसर/भवन को किराये पर देने के लिए कमेटी गठित करना एवं सम्बन्धित किरायेदार के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करना सम्बन्धित व्यावसायिक परिसरों/भवनों का किराया लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों से कम न हो एवं व्यापक प्रचार इत्यादि करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा व्यवसायिक परिसर/भवन के किरायेदार के साथ किराये से सम्बन्धित कोई भी लिखित अनुबंध का कार्यान्वियन नहीं किया गया था और न ही पंचायत के पास इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेख अर्थात माहवार दर तथा नियम व शर्तें इत्यादि उपलब्ध थी जिस कारण मासिक किराये की पूर्ण पुष्टि अंकेक्षण के दौरान संभव न हो सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/बगली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 29 दिनांक 01.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि व्यवसायिक परिसर/भवन को नियमानुसार कमेटी का गठन किए बिना किराये पर दिया गया और किरायेदार के साथ किसी भी प्रकार का अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किया गया है और इस बारे अंकेक्षण को आश्वासन दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर उक्त उल्लेखित कार्यालय आदेश, अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः व्यवसायिक परिसर/भवन के किरायेदार के साथ निर्देशानुसार किराया निर्धारण व किराये से सम्बन्धित लिखित अनुबंध का कार्यान्वियन न करने के कारणों से

अंकेक्षण को अवगत करवाते हुए किरायेदार के साथ किराये से सम्बन्धित लिखित अनुबंध का कार्यान्वियन कर नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित नियमित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की वैधानिक कठिनाई न हो तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त दिनांक 17.09.2008 के कार्यालय आदेश के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का प्रकरण पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹0.68 लाख के अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अतिरिक्त निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र क्रमांक XEN-(RD&PR)-DB-GENERAL/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 व XEN-(RD&PR)-Royalty/2011-Vol-1-10247-10393 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गये कि खनन सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल संबंधित ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरांत ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के नमूना अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं निर्देशों की अनदेखी के परिणामस्वरूप **परिशिष्ट - " च "** पर

संलग्न विवरणानुसार राशि **₹68,104.00** का आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान किया गया था। ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने के कारण क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण अवैध खनन स्त्रोत से आपूर्ति की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप सरकारी राजस्व को उक्त राशि की सम्भावित हानि से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/बगली दिनांक 01.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 33 दिनांक 03.02.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्यों पर प्रयोग की गई सामग्री (रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि) के बिलों के समर्थन में ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई और भुगतान किया गया। ग्राम पंचायत ने आश्वासन दिया कि आपूर्तिकर्ता से ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः राशि **₹68,104.00** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में खनन सामग्री के क्रय के दौरान बिलों के साथ वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व तदुपरांत ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.2 बजरी एवं पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.02 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) द्वारा भवनों एवं सड़कों हेतु सामग्री सम्बन्धी अध्याय 2 के पैरा 2.1.2.13 में बजरी (Aggregate) एवं पत्थरों

(Stone/Boulders) के आकार अनुसार आपूर्ति के दौरान रिक्तियों (Voids) की कटौती 5%, 10% एवं 12.5% करना निर्धारित है

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को रिक्तियों की कटौती किए बिना कुल राशि **₹27,492.00** का भुगतान किया गया जिस पर राशि **₹2,244.00** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/बगली दिनांक 01.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 34 दिनांक 03.02.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार रिक्तियों (Voids) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आश्वासन दिया गया कि अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा देगी। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं/उचित स्रोत से की जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में भुगतान से पूर्व रिक्तियों की कटौती से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदुपरांत ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.3 सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.09 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के चयनित माह के दौरान कुल राशि **₹4,64,680.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹9,293.00** की कटौती नहीं की गई थी फलस्वरूप सरकारी राजस्व को उक्त राशि की सम्भावित हानि से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ज"** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/बगली दिनांक 01.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 35 दिनांक 03.02.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की

जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है। अतः अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं/उचित स्रोत से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹1.94 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹1,93,851.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट - " झ "** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/बगली दिनांक 01.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी

अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 36 दिनांक 03.02.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया जा सका। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। नियमानुसार सामग्री क्रय न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.5 राशि ₹4.65 लाख के पेवर ब्लॉक का अनियमित क्रय करने बारे: -

सचिव (RD&PR) हि० प्र० सरकार के पत्र संख्या No.PCH-HC(10) FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हेतु हि० प्र० सरकार के स्वीकृत माध्यम अर्थात भंडार नियंत्रक (**Controller of store)** की दर संविदा (**Rate Contract)** अथवा **Gem Portal** को प्राथमिकता दिया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट " ञ "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹4,64,680.00** मूल्य के पेवर ब्लॉक्स का क्रय हि० प्र० सरकार के स्वीकृत माध्यम नियंत्रक भंडार के Rate Contract अथवा Gem Portal से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना किया गया था तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्र में वर्णित प्रावधान *"It will be mandatory for the concerned technical authority to give justification of the rates in the estimate. Before placing the supply, order or awarding the work to lowest bidder justification of rates may be prepared and got approved from the one step up authority who has accorded technical sanction"*, की पालना नहीं की गई थी, जोकि

अनियमित एवं अनुचित प्रक्रिया है और यह ग्राम पंचायत द्वारा नियमों एवं दिशा-निर्देशों की पालना के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/बगली दिनांक 01.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 36 दिनांक 03.02.2025 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत त्रुटि को स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पेवर ब्लॉक की खरीद खुले बाजार से किया गया है तथा भविष्य में वर्णित नियमों की पूर्ण अनुपालना सहित ही पेवर ब्लॉक का क्रय किया जाएगा। प्रत्युत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया। नियमानुसार सामग्री क्रय न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा लाखों रुपये की धनराशि का व्यय नियमों की अवहेलना करते हुये करना उचित नहीं है। उक्त अनियमितताओं बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण हेतु समर्थित अभिलेख एवं भौतिक सत्यापना सहित उक्त भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये एवं वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त मामला पंचायती राज विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विस्तृत जांच उपरान्त यथास्थिति लाई गई अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाने हेतु लाया जाता है।

8.6 अग्रिम राशि ₹6.73 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार पंचायत द्वारा फार्म-9 में अस्थायी अग्रिमों का रजिस्टर तैयार करना तथा किए गये अग्रिमों का वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया गया और चयनित माह 05/2022 व 03/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित धर्मशाला को सीमेंट के

क्रय हेतु राशि **₹6,72,798.00** का अग्रिम प्रदान किया गया था, परंतु दिनांक 31.03.2024 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ट "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/बगली दिनांक 04.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 37 दिनांक 10.02.2025 द्वारा बताया गया कि अग्रिम राशि का समायोजन शीघ्र कर लिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अस्थायी अग्रिमों के रजिस्टर को संधारित कर हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित धर्मशाला को की गई अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.7 राशि ₹6.73 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा। अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट के क्रय से संबंधित मूल बिल (Original Bill) प्रस्तुत नहीं किए गये। अंकेक्षण में प्रस्तुत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित चैतड़ू के Delivery Challan/Gate Pass No. के आधार पर **परिशिष्ट " ट "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹6,72,798.00** का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित चैतड़ू को सीमेंट के क्रय हेतु किया गया जिसके बदले में समय-समय पर ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग हेतु सीमेंट लिया गया। उक्त भुगतान एवं प्राप्त सीमेंट की मात्रा से संबंधित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने के कारण सीमेंट की स्टॉक प्रविष्टियों एवं खपत की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/बगली दिनांक 04.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 37 दिनांक 10.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित धर्मशाला से मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः उक्त मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर Delivery/Transfer Challan के आधार पर की गई अग्रिम भुगतान राशि की जांच पड़ताल कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर मूल बिल (Original Bill) प्राप्त कर स्टॉक रजिस्टर का अद्यतन करने उपरांत नियमानुसार अग्रिम समायोजन लेखें सहित कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सीमेंट के क्रय हेतु अग्रिम भुगतान केवल दार्शनिक बिल (Proforma Bill) प्राप्ति के उपरांत ही किया जाये।

9. मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित अनियमितता बारे

9.1 व्यक्तिगत कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात (60:40) के उल्लंघन के कारण राशि ₹0.05 लाख का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान करना

प्रधान सचिव (ग्रा०वि०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एसएमएस-8/2011-12-आर.डी.डी. (एम.पी.आर) दिनांक 22 जुलाई 2011 द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा निर्देशों अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, लघु तथा सीमान्त किसानों की निजी भूमि पर किये जाने वाले प्रत्येक कार्य पर मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर व्यय क्रमशः 60:40 के अनुपात में ही होगा।

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को सामग्री क्रय हेतु राशि

₹5,053.83 का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है , जिससे से संबंधित कार्यों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ठ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/बगली दिनांक 04.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 37 दिनांक 10.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि इस बारे तकनीकी सहायक से चर्चा उपरांत त्रुटि स्वीकार करते हुये अंकेक्षण को आश्वासन दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाये व नियमानुसार कार्यों के भुगतान को तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अतिरिक्त/अनियमित भुगतान की गई राशि की नियमानुसार गणना कर उच्च अधिकारियों की सत्यापना सहित वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 व्यक्तिगत कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा आपूर्तिकर्ता को राशि ₹2.75 लाख का अनियमित भुगतान करना:-

निदेशक-सह-आयुक्त (मनरेगा) ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश, के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किंए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु आपूर्तिकर्ता के खातों में सामग्री का भुगतान करने के बजाय, इसे व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये खरीदी गई सामग्री हेतु भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने के परिणामस्वरूप राशि **₹2,75,200.00** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है , जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ड "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/बगली दिनांक 04.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 37 दिनांक 10.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार सामग्री का भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति से समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये व अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 मनरेगा के अन्तर्गत व्यय राशि ₹18.31 लाख से संबंधित वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम **94, 95** व **101** के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। नियम **79(2)** अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत निष्पादित विकास कार्यों हेतु व्यय राशि

₹18,31,001.66 का भुगतान **परिशिष्ट "ढ"** पर संलग्न विवरणानुसार किया गया था, जिससे से संबंधित प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में संबंधित स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि के अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/बगली दिनांक 04.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 37 दिनांक 10.02.2025 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यों से संबंधित प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः मनरेगा के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों हेतु व्यय राशि से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे मामले को विभागीय स्तर पर उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रदान करते हुये नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर वस्तुस्थिति अनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित माप पुस्तिका के अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिसूचना क्रमांक PCH-HB(1)10/2017-PREW-44424-570 दिनांक 23.07.2019 के अनुसार तकनीकी सहायकों द्वारा माप पुस्तिका में तैयार किए गए कार्य अभिलेख प्रविष्टियों और बिल के मूल्यांकन के लिए, ₹3.00 लाख तक की लागत वाले कार्य जूनियर इंजीनियर द्वारा पारित किए जाएंगे और जूनियर इंजीनियर द्वारा तैयार किए गए ₹3.00 लाख से अधिक लागत वाले रिकॉर्ड प्रविष्टियों और बिल को सहायक इंजीनियर या कार्यकारी इंजीनियर द्वारा पारित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

अंकेक्षण के दौरान पैरा 9.3 अनुसार **परिशिष्ट " ठ " एवं " ढ "** पर संलग्न दृष्टांत मामलों में माप पुस्तिकाओं के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च

तकनीकी अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित करवाए बिना भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना के उपरांत किया गया था। फलस्वरूप किये गये भुगतानों की तकनीकी रूप से नमूना जांच एवं सत्यापना के अभाव में किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/बगली दिनांक 04.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 37 दिनांक 10.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल एवं तथ्यपूर्ण न होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.5 मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्हीं को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/बगली दिनांक 04.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 37 दिनांक 10.02.2025 द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अतः FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip का पंचायत में न पाया जाने को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की वसूली बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200.00(APL)/₹25.00(BPL) प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400.00(APL)/₹50.00(BPL) अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹1,400.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/बगली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर 32 दिनांक 03.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान वसूली कर ली गई है व प्राप्त राशि को सभा निधि खाता बैंक संख्या 20097027827 में जमा करवा दिया गया है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ण "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण के दौरान उक्त राशि की वसूली से संबंधित रसीदों एवं बैंक पास बुक के अवलोकन उपरांत पुष्टि कर ली गई है व परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये और विवाह पंजीकरण के समय ही शुल्क वसूली सुनिश्चित की जाये।

10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.05 लाख को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के

अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹4,600.00,** जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ण "** पर संलग्न है, को राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/बगली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर 32 दिनांक 03.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.3 पंचायत बैठक की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का पालन न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 27 (3) के अनुसार "निर्माण कार्यों तथा विकासात्मक कार्यों के लेखों का अनुमोदन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक का अनिवार्य एजेण्डा होगा । पूर्व मास आय-व्यय का मदवार विवरण विहित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों के आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रपत्र 34 पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि लेखा-जोखा प्रपत्र 34 अनुसार असंधारित है तथा ग्राम पंचायत का आय-व्यय

नियमानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ नहीं रखा जा रहा है जोकि पंचायत की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/बगली दिनांक 04.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 37 दिनांक 10.02.2025 द्वारा बताया गया कि नियमानुसार लेखा जोखा खाता का संधारण कर लिया जाएगा व बैठक/सभा की कार्यवाही नियमपूर्वक अमल में लाई जाएगी।

अतः उक्त मामले में सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.4 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुरूप लेखों का रख-रखाव ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत के चयनित मासों के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.5 वाउचर नम्बरों का न लगाया जाना :-

हि• प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(1) के अनुसार वाउचरों पर वाउचर क्रमांक लगाया जाना अपेक्षित है।

वाउचर नस्तियों के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 2022-23 व 2023-24 में मनरेगा के व्यय वाउचरों पर वाउचर क्रमांक नहीं लगाए गए थे, जोकि उक्त प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है तथा उचित वाउचर क्रमांक के अभाव में अंकेक्षण में भी दिक्कतें आई हैं। अतः इस अनियमितता तथा नियमों की अवहेलना के बारे में तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट

करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अँकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.6 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभागी/ संकर्म समिति द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के **"परिशिष्ट -ई"** में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देख-रेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट " ठ ", " ड "** व **" ढ "** पर संलग्न दृष्टांत मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा था, जिसका नियमानुसार औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है जिस कारण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों की सत्यता, पुष्टि एवं प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सका।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	वर्गीकृत सार	29(4)	08
4.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
5.	बजट प्राक्कलन	37	11
6.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
7.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
8.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
9.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
10.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
11.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
12.	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	---	101(2)

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 नियमावली अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	स्थाई स्टॉक रजिस्टर	34	01
2.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
3.	सहायता अनुदान रजिस्टर	34	08
4.	कर रजिस्टर	34	
5.	विकास कार्यों का लेखा जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 105(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/बगली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 30 दिनांक 01.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी

अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12034/01/2016 - आर ई -1 (347366) दिनांक 17.11.2016 अनुसार मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टरों का रख-रखाव करने हेतु निर्देश जारी किए ताकि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अपना समय प्रभावी तथा लाभदायक ढंग से लगा सकें।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टर में से निम्नलिखित रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

क्रमांक	रजिस्टर क्रमांक	रजिस्टर का प्रायोजन
1.	रजिस्टर - I	जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण और जारी करने के लिए) और घरेलू रोजगार रिपोर्ट।
2.	रजिस्टर-III	कार्य की मांग, कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर
3.	रजिस्टर-IV	कार्य (Work) रजिस्टर
4.	रजिस्टर-V	अचल संपत्ति रजिस्टर
5.	रजिस्टर-VI	शिकायत रजिस्टर
6.	रजिस्टर-VII	सामग्री रजिस्टर

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/बगली दिनांक 31.01.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 31 दिनांक 01.02.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर अंकेक्षण अवधि से संबंधित सभी रजिस्टरों को नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 14/2024/बगली दिनांक 04.02.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 37 दिनांक 10.02.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ख) PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में क्रियान्वयन बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण PRIASoft लेखा प्रणाली में लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का/प्रति
२२४५ – २२४९ 21 APR 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)115/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला,, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बगली, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

21 APR 2025

का/प्रति

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 4(क) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत बगली, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176209

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP BAGLI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	294709.50	279176.17	573885.67	224820.00	349065.67
2023-24	349065.67	23850.24	372915.91	195755.00	177160.91

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1613421.71	5909126.00	7522547.71	5721028.71	1801519.00
2023-24	1801519.00	3463056.26	5264575.26	3660084.26	1604491.00

Rajeev kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagli
Development Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

39

(परिशिष्ट " ख " पैरा संख्या " 4(क)" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत बगली, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176209

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP BAGLI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5th SFC	2022-23	118874.37	312687.00	431561.37	326554.37	105007.00
		2023-24	105007.00	429837.26	534844.26	437539.26	97305.00
2	VKVNY	2022-23	1000.00	261537.00	262537.00	262287.00	250.00
		2023-24	250.00	844974.00	845224.00	752750.00	92474.00
3	SDP	2022-23	3363.00	96.00	3459.00	3459.00	0.00
		2023-24	0.00	135352.00	135352.00	3010.00	132342.00
4	RGSA	2022-23	109927.34	151252.00	261179.34	261179.34	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	MPLADS	2022-23	4.00	1421.00	1425.00	1425.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	SDRF	2022-23	0.00	150000.00	150000.00	41213.00	108787.00
		2023-24	108787.00	161210.00	269997.00	203928.00	66069.00
7	SBM	2022-23	26780.00	295.00	27075.00	27075.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	MMGPY	2022-23	328.00	8.00	336.00	336.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	15th FC	2022-23	1292527.00	849829.00	2142356.00	614881.00	1527475.00
		2023-24	1527475.00	209703.00	1737178.00	582708.00	1154470.00
10	SBM (PFMS)	2022-23	0.00	500452.00	500452.00	500452.00	0.00
		2023-24	0.00	181802.00	181802.00	181802.00	0.00
11	BMC (Offline)	2022-23	60618.00	1729.00	62347.00	2347.00	60000.00
		2023-24	60000.00	1831.00	61831.00	0.00	61831.00
12	MNREGA	2022-23	0.00	3679820.00	3679820.00	3679820.00	0.00
		2023-24	0.00	1498347.00	1498347.00	1498347.00	0.00

Rajeev Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagli
Development Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

40

(परिशिष्ट " ग ", पैरा संख्या " 4 (ख) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत बगली, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176209

ग्राम पंचायत बगली के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक गत शेष 01.04.2022	बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1.	सभा निधि (OWN SOURCE)	के०सी०सी०बी० बगली	20097027827	₹ 2,51,638.79	₹ 1,77,160.91	₹ 1,77,160.91
2.	5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC)	UCO बैंक चेतड़ु	33400110013304	₹ 1,18,874.37	₹ 97,305.00	₹ 97,305.00
3.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	के०सी०सी०बी० बगली	50057684094	₹ 1,000.00	₹ 92,474.00	₹ 92,474.00
4.	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)	के०सी०सी०बी० बगली	50055492836	₹ 3,363.00	₹ 1,32,342.00	₹ 1,32,342.00
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA)	UCO बैंक चेतड़ु	33400110022511	₹ 1,09,927.34	₹ 0.00	₹ 0.00
6.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (M.P.L.A.D.S.)	के०सी०सी०बी० बगली	50021937212	₹ 4.00	₹ 66,069.00	₹ 66,069.00
7.	राज्य आपदा राहत कोश (SDRF)					
8.	स्वच्छ भारत मिशन (SBM).	के०सी०सी०बी० बगली	50057318276	₹ 26,780.00	₹ 0.00	₹ 0.00
9.	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	के०सी०सी०बी० बगली	50061128280	₹ 328.00	₹ 0.00	₹ 0.00
11.	15वाँ वित्तायोग (15^{TH} FC)	UCO बैंक चेतड़ु	33400110016725	₹ 12,92,527.00	₹ 11,54,470.00	₹ 11,54,470.00
12.	बायो डाइवर्सिटी मैनेजमेन्ट कमेटी (BMC)	के०सी०सी०बी० बगली	50073758615	₹ 60,618.00	₹ 61,831.00	₹ 61,831.00
	हस्तगत नकद शेष (Own Source)			₹ 0.00	₹ 0.00	₹ 0.00
	कुल योग			**₹ 18,65,060.50**	**₹ 17,81,651.91**	**₹ 17,81,651.91**

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	**₹ 17,81,651.91**
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	**₹ 17,81,651.91**
अंतर :-	**₹ 0.00**

Rajeev Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagli
Development Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

SA

41

(परिशिष्ट " घ ", पैरा संख्या " 7.1 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत बगली , वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा हि०प्र०- 176209

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

प्रमाणित किया जाता है कि पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 421 का ₹60/- तथा 2023-24 में 432 परिवारों का व ₹60/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 64,650.00	421	₹ 60.00	₹ 25,260.00	₹ 89,910.00	₹ 56,320.00	₹ 33,590.00
2023-24	₹ 33,590.00	432	₹ 60.00	₹ 25,920.00	₹ 59,510.00	₹ 0.00	₹ 59,510.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹ 59,510/-** है।						

Rajeev kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagli
Development Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

42

(परिशिष्ट " ङ ", पैरा संख्या " **7.2** " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत बगली , वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा हि०प्र०- 176209

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में व्यवसायिक परिसर/भवन का किराया वसूली हेतु शेष :-

प्रमाणित किया जाता है कि पंचायत द्वारा शहीद भगत सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल बगली को व्यवसायिक परिसर/भवन ₹600/- प्रतिमाह की दर से किराये पर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	अथशेष	किराया दर प्रतिमाह	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 0.00	₹ 600.00	₹ 7,200.00	₹ 7,200.00	₹ 7,200.00	₹ 0.00
2023-24	₹ 0.00	₹ 600.00	₹ 7,200.00	₹ 7,200.00	₹ 5,400.00	₹ 1,800.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹ 1,800/-** है।					

Rajeev kumar

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagli
Development Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

43

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8.1 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत बगली द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹ 0.68 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

	वित्त वर्ष - 2022-2023							
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	राशी GST सहित	फार्म X / फार्म Y
1.	Abhinav Thakur	Nil/19.05.2022	005/18.11.2021	Sand	₹ 36.00	300.00 cft	₹ 10,800.00	Not available
2.				Agg. 20 mm	₹ 29.00	300.00 cft	₹ 8,700.00	Not available
3.	Abhinav Thakur	Nil/19.05.2022	010/18.11.2021	khadu pathar	₹ 13.80	800.00 no	₹ 11,040.00	Not available
				GST @ 5%			₹ 552.00	Not available
4.	Abhinav Thakur	Nil/19.05.2022	013/18.12.2021	sand	₹ 36.00	190.00 cft	₹ 6,840.00	Not available
	वित्त वर्ष - 2023-24							
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)							
5.	Abhinav Thakur	Nil/ 04.03.2024	050/ 03.05.2023	sand	₹ 45.00	340.00 no	₹ 15,300.00	Not available
6.				Agg.	₹ 36.00	200.00 no	₹ 7,200.00	Not available
7.	Arvind Kumar Govt.Contractor	Nil/ 04.03.2024	213/ 26.11.2023	sand	₹ 44.00	160.00 no	₹ 7,040.00	Not available
				GST @ 5%			₹ 632.00	Not available
						कुल जोड़	₹ 68,104.00	

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Bagli is true and as per records available at GP Bagli Ofiice.

Rajeev Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagli
Development Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

Neelam
GRS

SATISH KUMAR
Tech/Ass

44

परिशिष्ट " छ ", पैरा संख्या " 8.2 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत बगली द्वारा बजरी एवं पत्थर की खरीद में रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹ 0.02 लाख का आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त/अनियमित भुगतान का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	राशी GST सहित	कटौती दर	रिक्तियां (Voids)
	वित्त वर्ष - 2022-2023								
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)								
1.	Abhinav Thakur	Nil/19.05.2022	005/18.11.2021	Agg. 20 mm	₹ 29.00	300.00 cft	₹ 8,700.00	5.00%	₹ 435.00
2.	Abhinav Thakur	Nil/19.05.2022	010/18.11.2021	khadu pathar	₹ 13.80	800.00 no	₹ 11,592.00	12.50%	₹ 1,449.00
	वित्त वर्ष - 2023-24								
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)								
3.	Abhinav Thakur	Nil/ 04.03.2024	050/ 03.05.2023	Agg.	₹ 36.00	200.00 cft	₹ 7,200.00	5.00%	₹ 360.00
						कुल जोड़	₹ 27,492.00		₹ 2,244.00

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Bagli is true and as per records available at GP Bagli Ofiice.

Neelam
GRS

Rajeev kumar.
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagli
Development Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

Satish Kumar
Tech/Ass

45

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " 8.3 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत बगली द्वारा जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती किए बिना अपूर्तिकर्ता को सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान करने के कारण राशि ₹ 0.09 लाख का अनियमित/अतिरिक्त भुगतान का विवरण

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	व्यय चयनित माह	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सेवाओं एवं सामग्री का विवरण	चयनित माह में कुल भुगतान की गई राशि	G.S.T T.D.S. कटौती दर	G.S.T T.D.S. की कटौती योग्य राशि
1.	2022-23	05/2022	Pankaj Enterprises, Dehra Chowk Bassa, P.O. Nagrota Surian & Teh Jawali, Kangra,GST No. **02AJOPG5120E1ZT**	60mm Interlock Tiles & 40mm Interlock Tiles	**₹ 4,64,680.00**	2%	₹ 9,293.60
			Total (R/Off)		**₹ 4,64,680.00**	2%	**₹ 9,293.60**

Note: There was no bifurcation of GST Paid in the bill amount, therefore whole bill amount is considered for calculation of GST TDS.

Rajeev Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagli
Development Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

J A

46

परिशिष्ट " झ ", पैरा संख्या " 8.4 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत बगली द्वारा औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किये बिना राशि ₹ 1.94 लाख की निर्माण सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

	वित्त वर्ष - 2022-2023							
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	राशी GST सहित	टिप्पणी
1.	M/S N.S ENERGIES	Nil/19.05.2022	552/ 05.12.2021	P.P. Tile	₹ 229.00	728.00 Sqft	₹ 1,66,712.00	दो स्थानीय अखबारों में विज्ञापन नहीं दिया गया
2.	M/S N.S ENERGIES	Nil/19.05.2022	556/ 01.12.2021	P.P. Tile	₹ 229.00	21.00 Sqft	₹ 4,809.00	
3.				Edges PP side locking	₹ 82.00	180.00 Rft	₹ 14,760.00	
4.				Volley Ball Pole	₹ 6,000.00	1.00 Pair	₹ 6,000.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
5.				Net	₹ 1,570.00	1.00 no	₹ 1,570.00	
						कुल जोड़	₹ 1,93,851.00	

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Bagli is true and as per records available at GP Bagli Office.

Neelam
GRS

Rajeev Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagli
Development Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

SATISH KUMAR
Tech/Ass

47

ग्राम पंचायत बगली द्वारा राशि ₹ 4.65 लाख के पेवर ब्लॉक का अनियमित क्रय का विवरण

वित्त वर्ष - 2022-2023									
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)									
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा		राशी GST सहित	टिप्पणी
1.	PANKAJ ENTERPRISES	Nil/19.05.2022	033/ 27.09.2021	Inter lock tiles 60m.m.	₹ 18.16	3900.00	no	₹ 70,824.00	हि० प्र० सरकार के भंडार नियंत्रक के Rate Contract अथवा Gem Portal से उपलब्धता सुनिश्चित न करना एवं दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन न देना
2.	PANKAJ ENTERPRISES	Nil/19.05.2022	034/ 03.10.2021	Inter lock tiles 60m.m.	₹ 18.16	8000.00	no	₹ 1,45,280.00	
3.	PANKAJ ENTERPRISES	Nil/19.05.2022	035/ 05.10.2021	Inter lock tiles 60m.m.	₹ 18.16	8000.00	no	₹ 1,45,280.00	
4.	PANKAJ ENTERPRISES	Nil/19.05.2022	059/ 16.12.2021	Inter lock tiles 40m.m.	₹ 16.14	6400.00	no	₹ 1,03,296.00	
						कुल जोड़		₹ 4,64,680.00	

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Bagli is true and as per records available at GP Bagli Ofiice.

Neelam
GRS

Rajeev kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagli
Development Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

Satish Kumar
Tech / Ass

48

परिशिष्ट " ट ", पैरा संख्या "8.6व8.7" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बगली द्वारा सीमेंट क्रय हेतु भुगतान की गई अग्रिम राशि ₹ 6.73 लाख से संबंधित प्रोफॉर्मा एवं मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना एवं अग्रिम राशि का समायोजन हेतु शेष पाए जाने का विवरण

वित्त वर्ष - 2022-2023							
अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	DeliveryChalla/ Gate Pass No.	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान की गई राशि
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/19.05.2022	11825/01.01.2022	सीमेंट	₹ 336.13	100.00 Bags	₹ 33,613.00
2.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/31.05.2022	18443/01.01.2022	सीमेंट	₹ 336.13	100.00 Bags	₹ 33,613.00
3.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/31.05.2022	11038/05.10.2022	सीमेंट	₹ 336.13	35.00 Bags	₹ 11,764.55
4.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/31.05.2022	7335/23.09.2021	सीमेंट	₹ 336.13	135.00 Bags	₹ 45,377.55
5.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/31.05.2022	18438/01.01.2022	सीमेंट	₹ 336.13	150.00 Bags	₹ 50,419.50
6.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/31.05.2022	18446/ 01.01.2022	सीमेंट	₹ 336.13	78.00 Bags	₹ 26,218.14
7.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/19.05.2022	19721/ 31.03.2022	सीमेंट	₹ 336.13	180.00 Bags	₹ 60,503.40
8.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/31.05.2022	11037/ 05.10.2021	सीमेंट	₹ 336.13	60.00 Bags	₹ 20,167.80
9.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/19.05.2022	19722/ 31.03.2022	सीमेंट	₹ 336.13	130.00 Bags	₹ 43,696.90
10.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/31.05.2022	18445/ 01.01.2022	सीमेंट	₹ 336.13	68.00 Bags	₹ 22,856.84
11.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/31.05.2022	18444/ 01.01.2022	सीमेंट	₹ 336.13	100.00 Bags	₹ 33,613.00
12.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/31.05.2022	18440/ 01.01.2022	सीमेंट	₹ 336.13	105.00 Bags	₹ 35,293.65
13.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/19.05.2022	19723/ 31.03.2022	सीमेंट	₹ 336.13	90.00 Bags	₹ 30,251.70
14.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/31.05.2022	18439/ 01.01.2022	सीमेंट	₹ 336.13	200.00 Bags	₹ 67,226.00
15.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/31.05.2022	7334/ 23.09.2021	सीमेंट	₹ 336.13	44.00 Bags	₹ 14,789.72
16.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/31.05.2022	18441/ 01.01.2022	सीमेंट	₹ 336.13	95.00 Bags	₹ 31,932.35
17.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/31.05.2022	18442/ 01.01.2022	सीमेंट	₹ 336.13	48.00 Bags	₹ 16,134.24
18.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/31.05.2022	18437/ 01.01.2022	सीमेंट	₹ 336.13	120.00 Bags	₹ 40,335.60
19.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/31.05.2022	7332/ 23.09.2021	सीमेंट	₹ 336.13	30.00 Bags	₹ 10,083.90
						जोड़ (i)	₹ 6,27,890.84
	वित्त वर्ष 2023-24						
	अनुदान शीर्ष : विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)						
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	DeliveryChalla/ Gate Pass No.	मद का नाम	दर	मात्रा	भुगतान की गई राशि
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	VKVNY/2023-24/P/32 Dt 14.03.2024	342221/ 12.03.2024	सीमेंट	₹ 400.00	20.00 Bags	₹ 8,000.00
						जोड़ (ii)	₹ 8,000.00
	अनुदान शीर्ष : 15वां वित्त आयोग (15^{TH} FC)						
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	XVFC/2023-24/P/43 Dt 14.03.2024	342222/ 14.03.2024	सीमेंट	₹ 400.00	43.00 Bags	₹ 17,200.00
2.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	XVFC/2023-24/P/44 Dt 14.03.2024	104587/ 29.02.2024	सीमेंट	₹ 397.00	9.00 Bags	₹ 3,573.00
						जोड़ (iii)	₹ 20,773.00
	अनुदान शीर्ष : स्वच्छ भारत मिशन (SBM) (PFMS)						
1.	H.P.S.C.S.Co. Ltd. Chetru	Nil/ 17.05.2022	19023/ 25.05.2022	सीमेंट	₹ 336.13	48.00 Bags	₹ 16,134.24
						जोड़ (iv)	₹ 16,134.24
					कुल जोड़ (i + ii+iii+iv)		₹ 6,72,798.08

It is certified that above data provided to Audit by Gram Panchayat Bagli is true and as per records available at GP Bagli Ofiice.

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagli
Development Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

परिशिष्ट " ठ ", पैरा संख्या " 9.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत बगली द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण सामग्री खरीद पर राशि ₹ 0.05 लाख के अनियमित/अतिरिक्त भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	वर्क कोड	लाभार्थी का नाम	MIS अनुसार कुल व्यय राशि	MIS अनुसार सामग्री पर कुल व्यय	MIS अनुसार मजदूरी पर कुल व्यय	मजदूरी अनुसार सामग्री पर व्यय योग्य राशी	सामग्री पर अतिरिक्त व्यय की गई राशि (60:40 अनुपात)
1.	निर्माण पौधारोपण योगराज की जमीन में	1304004162/IF/32311821	श्री योगराज	₹ 62,280.00	₹ 27,080.00	₹ 35,200.00	₹ 23,443.20	₹ 3,636.80
2.	निर्माण भूमि सुरक्षा दीवार शकुन्तला देवी पत्नी श्री अमर सिंह	1304004162/IF/32276793	श्रीमती शकुंतला देवी	₹ 49,103.00	₹ 20,480.00	₹ 28,623.00	₹ 19,062.92	₹ 1,417.08
		कुल जोड़		**₹ 1,11,383.00**	**₹ 47,560.00**	**₹ 63,823.00**	**₹ 42,506.12**	**₹ 5,053.88**

Neelam GRS

Satish Kumar Tech/ASS

Rajeev Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagli
Development Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

50

ग्राम पंचायत बगली द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा आपूर्तिकर्ता को राशि ₹2.75 लाख का अनियमित भुगतान करना

क्र० सं०	कार्य का नाम	वर्क कोड	MIS अनुसार कुल व्यय राशि	MIS अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि
1.	निर्माण मुर्गी पालन शैड दलजीत सिंह सपुत्र श्री किशोरी लाल वार्ड 3	1304004162/IF/32246971	₹ 39,922.00	₹ 10,000.00
2.	निर्माण मुर्गी पालन शैड कर्म चंद की जमीन में वार्ड 3	1304004162/IF/32295399	₹ 39,996.00	₹ 6,360.00
3.	पौधारोपण सुमेर गुप्ता की जमीन में व आनन्द गुप्ता इत्यादि की जमीन में वार्ड 3	1304004162/IF/32305185	₹ 97,824.00	₹ 38,544.00
4.	निर्माण पौधारोपण योगराज की जमीन में	1304004162/IF/32311821	₹ 62,280.00	₹ 27,080.00
5.	निर्माण गौशाला सत्या देवी पत्नी श्री किशोरी लाल की जमीन में वार्ड 1	1304004162/IF/8000116699	₹ 99,400.00	₹ 39,480.00
6.	पौधारोपण रविचन्द सपुत्र श्री रामशरण की जमीन में वार्ड 2	1304004162/IF/8000116703	₹ 1,00,000.00	₹ 40,000.00
7.	पौधारोपण जयचन्द की जमीन में	1304004162/IF/8000116710	₹ 99,980.00	₹ 35,780.00
8.	पौधारोपण संदीप दीवान की जमीन में वार्ड 3.	1304004162/IF/8000116990	₹ 99,670.00	₹ 38,090.00
9.	पौधारोपण प्रेम चंद सपुत्र श्री गोविन्द की जमीन में वार्ड 3	1304004162/IF/8000121348	₹ 99,666.00	₹ 39,866.00
		कुल जोड़	**₹ 7,38,738.00**	**₹ 2,75,200.00**

Neelam GRS

Satish Kumar
Tech / ASS

Rajeev Kumar.
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagli
Development Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

57

(परिशिष्ट " ढ " पैरा संख्या " 9.3 " के संदर्भ में)

ग्राम पंचायत बगली द्वारा मनरेगा अनुदानों के अंतर्गत राशि ₹ 18.31 लाख के निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	वर्क कोड	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशी	MIS अनुसार कुल भुगतान की गई राशि	कार्य की स्थिति
1.	निर्माण जीप रोड इंटर लोक टाईल नजदीक श्री अनिल वैद के घर से लेकर देवराज के घर की ओर वार्ड न-02,03 SDP	1304004162/RC/8000114605	2020-21	₹ 4,99,689.00	₹ 4,72,601.70	पूर्ण
2.	निर्माण खेल मैदान जी. एस. एस. एस. बगली	1304004162/LD/8000054619	2021-22	₹ 4,99,999.00	₹ 4,85,894.00	पूर्ण
3.	रास्ते में टाइलें डलवाना नजदीक जगदीश की जमीन के पास से घुरलू नाला की ओर वार्ड न-01	1304004162/RC/8000113141	2022-23	₹ 2,10,052.00	₹ 2,07,751.15	पूर्ण
4.	पौधारोपण रविचन्द सपुत्र श्री रामशरण की जमीन में वार्ड 2	1304004162/IF/8000116703	2023-24	₹ 1,03,844.00	₹ 1,00,000.00	पूर्ण
5.	निर्माण जीप योग्य सड़क नजदीक श्री सतीश कुमार योगराज इत्यादि की जमीन से राजकुमार के घर व अजीत कुमार की	1304004162/RC/8000139637	2021-22	₹ 1,80,745.00	₹ 1,70,225.35	पूर्ण
6.	रास्ते में टाइल डलवाना व रास्ता निर्माण इत्यादि कार्य नजदीक पी. डब्लू. डी. रोड बगली से दर्शना देवी ज	1304004162/RC/8000139646	2021-22	₹ 2,17,421.00	₹ 1,60,639.46	पूर्ण
7.	निर्माण चैक डैम व् भूमि कटाव हेतू रोक नजदीक कुलदीप चन्द की जमीन से बाल कृष्ण व् बाल दिवाकर की जमीन	1304004162/FP/8000083920	202-21	₹ 2,38,782.00	₹ 2,33,890.00	
			कुल जोड़	**₹ 19,50,532.00**	**₹ 18,31,001.66**	

Neelam GRS

Satish Kumar
Tech/ASS

Rajeev Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagli
Development Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

52

कार्यालय ग्राम पंचायत बगली, वि०ख० धर्मशाला, ज़िला काँगड़ा, हि०प्र० 176209

(क) अंकेक्षण के दौरान आवेदनकर्ताओं से वसूली हेतु शेष राशि ₹0.01 लाख विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली का विवरण :-

क्र०सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	रसीद संख्या	दिनांक	अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि
1.	Nakul Vaid	15-04-2022	24-05-2022	₹ 400.00	₹ 200.00	0306678	03-02-2025	₹ 200.00
2.	Gourav	26-05-2022	21-06-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	0306679	03-02-2025	₹ 200.00
3.	Rahul Pathania	25-01-2023	22-03-2023	₹ 400.00	₹ 0.00	0306680	03-02-2025	₹ 400.00
4.	Atul Soni	17-02-2023	22-03-2023	₹ 400.00	₹ 0.00	0306681	03-02-2025	₹ 400.00
5.	Varun Choudhary	07-06-2023	30-06-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	0306682	03-02-2025	₹ 200.00
			कुल योग	₹ 1,600.00	₹ 200.00			₹ 1,400.00

(ख) आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि ₹0.05 लाख को हि०प्र० कोषागार (Treasury) में जमा न करवाने का विवरण:-

क्र०सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	रसीद संख्या	दिनांक	अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि
1.	Vishesh Kumar	19-04-2022	09-05-2022	₹ 200.00	₹ 200.00	0306126	19-07-2022	₹ 0.00
2.	Mohit	11-05-2022	24-05-2022	₹ 200.00	₹ 200.00	0306128	19-07-2022	₹ 0.00
3.	Nakul Vaid	15-04-2022	24-05-2022	₹ 400.00	₹ 200.00	0306153 0306678	19-07-2022 03-02-2025	₹ 200.00
4.	Gourav	26-05-2022	21-06-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	0306679	03-02-2025	₹ 200.00
5.	Vikash Sharma	08-07-2022	01-08-2022	₹ 200.00	₹ 200.00	0306168	10-09-2022	₹ 0.00
6.	Sangeet Kumar	20-07-2022	01-08-2022	₹ 200.00	₹ 200.00	0306169	10-09-2022	₹ 0.00
7.	Kush Sharma	26-09-2022	11-10-2022	₹ 200.00	₹ 200.00	0306172	11-10-2022	₹ 0.00
8.	Ankush	26-09-2022	28-11-2022	₹ 400.00	₹ 400.00	0306187	28-11-2022	₹ 0.00
9.	Raman Choudhary	08-12-2022	31-12-2022	₹ 200.00	₹ 200.00	0306191	31-12-2022	₹ 0.00
10.	Rahul Pathania	25-01-2023	22-03-2023	₹ 400.00	₹ 0.00	0306680	03-02-2025	₹ 400.00
11.	Atul Soni	17-02-2023	22-03-2023	₹ 400.00	₹ 0.00	0306681	03-02-2025	₹ 400.00
12.	Varun Choudhary	07-06-2023	30-06-2023	₹ 200.00	₹ 0.00	0306682	03-02-2025	₹ 200.00
13.	Nitin Kumar	12-06-2023	04-07-2023	₹ 200.00	₹ 200.00	0306529	03-07-2023	₹ 0.00
14.	Chitranjan	26-09-2023	25-10-2023	₹ 200.00	₹ 200.00	0306550	31-10-2023	₹ 0.00
15.	Aman Kumar	20-10-2023	28-11-2023	₹ 400.00	₹ 400.00	0306554	01-12-2023	₹ 0.00
16.	Hem Raj	26-09-2023	28-11-2023	₹ 400.00	₹ 400.00	0306555	01-12-2023	₹ 0.00
17.	Vishal Kumar	07-03-2024	18-03-2024	₹ 200.00	₹ 200.00	0306587	18-03-2024	₹ 0.00
			कुल योग	₹ 4,600.00	₹ 3,200.00			₹ 1,400.00

वित्त वर्ष 2022-23 में वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क की कुल राशि	₹ 1,800.00
वित्त वर्ष 2023-24 में वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क की कुल राशि	₹ 1,400.00
अंकेक्षण के दौरान वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क की कुल राशि	₹ 1,400.00
कुल योग	₹ 4,600.00

Rajeev Kumar
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Bagli
Development Block Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)

53